न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रार्थी बनाम राजस्थान सरकार 1121	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म
18/1/21	विद्वान अधिवक्ता श्री रविकुमार शर्मा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट के तहत पेश किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलवी अप्रार्थीगण कि जारी होकर पत्रावली दिनांक 27/1/21 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा (राज.)	
27/01/21	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगढ़ पचवारा के जारी नोटिस बाद तामील आम पत्रावली लिया गया। राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगढ़ बावजूद तामील उपस्थित नहीं आकर कोई उसके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही क्यों नहीं की जावे है। हमने प्रस्तुत पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया जिसमें प्रार्थीया बाबूलाल पुत्र मोहनलाल जाति मीना निवासी गोविन्दनगर तहसील रामगढ़ हाल बसई तहसील सवाई माधोपुर 3.41, बकता 2 बीघा स्थित ग्राम बिड़ोली तहसील रामगढ़ पचवारा की पत्थरगढ़ी करवाना चाहा है। प्रार्थीया बाबूलाल आराजी की रिकार्ड पाया है जिसकी प्रार्थीया पत्थरगढ़ी करवाने की अपील कर रही है। प्रकरण की जर्ब के तहसीलदार द्वारा दिनांक 25/6/2000 को तरीमनामा करवाया गया है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 136 LRAct स्वीकार किया जाता है। एवं तहसीलदार रामगढ़ पचवारा को निर्देश दिये जाते है कि आम प्रार्थीया की खातेदारी कि 3.41, बकता 2 बीघा स्थित ग्राम बिड़ोली की मौका मुआयना मुताबिक नियमों तरीकाजात पत्थरगढ़ी करवाकर पत्रावली फैसल शुमार होना। नकल देकर वापिस पत्रावली दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा (राज.)	